



राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
8, अरेरा हिल्स ओल्ड जेल रोड़, भोपाल-462004



विज्ञा.क्र./रा.स्वा.मि./मा संसा. /2019/10020

भोपाल, दिनांक: (11.09.19)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म0प्र0 संविदा आधार पर संविदा सीनियर टीबी लेबोरटरी सुपरवाइजर (एस.टी. एल.एस.) एवं संविदा लेबोरटरी टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2020 तक के लिये होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

क्र	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
1	संविदा सीनियर टीबी लेबोरटरी सुपरवाइजर (एस.टी.एल. एस.)	213	20,000 रुपये प्रतिमाह	किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्था से (Bachelor of Medical Laboratory Technology) B.Sc. (MLT); B. M. L. T. Diploma in Medical Laboratory Technology (DMLT)	21-40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/08/2019 की स्थिति में)
2	संविदा लेबोरटरी टेक्नीशियन	377	15000 रुपये प्रतिमाह	म.प्र. पेरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य	21-40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निशक्तजन, महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट) (01/08/2019 की स्थिति में)

1. आवेदन एम.पी. ऑनलाईन के वेब पोर्टल www.mponline.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए लिंक दिनांक 12/09/2019 से उपलब्ध की जायेगी। ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि 05/10/2019 है। ऑफलाईन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

2. पदों हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा:-

पद का नाम	स्वीकृत रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		विकलांग (अस्थि बाधित-40 प्रतिशत से अधिक)	योग
		पुरुष	महिला		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला		
संविदा सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर (एस.टी.एल.एस.)	213	48	23	8	28	15	22	12	38	19	0	213
संविदा लेबोरेटरी टेक्नीशियन	377	82	41	14	53	22	42	18	68	34	3	377

3. निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गये अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयमेव निरस्त माने जायेंगे।
4. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा देनी होगी।
6. मिशन संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. को किसी भी आवेदन को बिना कारण बताये स्वीकृत/ निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

(Handwritten Signature)
11/10/19
(वर्षा भूरिया)
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
मध्यप्रदेश